भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1430
गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर अवसंरचनात्मक कमियां

1430. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर प्रति घंटा केवल 1,960 यात्रियों को संभालने की क्षमता सहित अवसंरचनात्मक कमियों और यात्री यातायात/उड़ानों में अनुमानित वृद्धि को समायोजित करने में असमर्थता की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विमानपत्तन अवसंरचना के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार योजना बनाते समय आगामी बीस वर्षों के लिए भावी अनुमानों को शामिल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ द्वारा यात्रियों के उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले यात्रियों के उत्पीड़न का समाधान करने और यात्रा अनुभव के दौरान उनके आराम को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार पार्किंग ठेकेदारों द्वारा पिक/ड्रॉप क्षेत्रों से अधिक प्रभार वसूलने/हेर-फेर करने के आरोपों की जांच कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उत्पीड़न से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) क्या सरकार का अमृतसर विमानपत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करके बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): बढ़ते यात्री यातायात से निपटने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने अमृतसर हवाईअड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार और पुनर्विन्यास किया है, जिससे इसके क्षेत्रफल में लगभग 10,000 वर्ग मीटर की वृद्धि होगी। विस्तार के पश्चात, टर्मिनल की यात्री हैंडलिंग क्षमता व्यस्ततम समय में 1600 यात्रियों से बढ़कर 2000 यात्रियों तक पहुंचने की संभावना है।

इसके अलावा, हवाईअड्डों का विस्तार और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर यातायात की मांग, भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकारों और इन हवाईअड्डों से/के लिए परिचालन करने हेतु एयरलाइनों की स्वेच्छा जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है।

(घ) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अमृतसर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ द्वारा यात्रियों को परेशान करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यात्रियों की किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, टर्मिनल भवन के भीतर प्रमुख स्थानों पर ड्यूटी टर्मिनल प्रबन्धक और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) नियंत्रण कक्ष के संपर्क नंबर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्थान और आगमन दोनों टर्मिनलों पर समर्पित सहायता डेस्क काउंटर स्थापित किए गए हैं।

(ङ) : सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जो हवाईअड्डों पर सुगम्य अवसंरचना के डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में हवाईअड्डा प्रचालकों, एयरलाइनों, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने और मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग और कम गतिशीलता वाले यात्री हवाईअड्डा परिसर में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूम सकें और सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इन प्रावधानों में व्हीलचेयर सहायता, बग्गी सेवाएं, सुलभ शौचालय, अनुकूलित प्रस्थान/आगमन द्वार, समर्पित चेक-इन काउंटर, प्राथमिकता सुरक्षा जांच, तथा निर्दिष्ट सहायता वाहन पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ बिंदु शामिल हैं।

(च) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) पार्किंग ठेकेदारों के विरुद्ध अधिक शुल्क लेने, पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ क्षेत्रों में हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित सभी शिकायतों की गहन जांच करता है। तत्पश्चात, रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध उचित सुधारात्मक और दंडात्मक उपाय लागू किए जाते हैं।

(छ) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पात्र सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए अमृतसर हवाईअड्डे पर सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ अविवाहित कार्मिक आवास सुविधा उपलब्ध कराया है, जो स्वीकृत क्षमता का 55% है। शेष 45% कार्मिक भारत सरकार के नियमों के अनुसार आवास किराया भत्ता (एचआरए) का लाभ उठा रहे हैं।

*****